



Neutral Citation No. - 2026:AHC:16214

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - सी संख्या - 1731/2026

कृपाल सिंहयाचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 4 अन्यप्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता: मोहम्मद फाजिल, परवेज आलम

प्रतिवादी(गण) के अधिवक्ता: अरुण कुमार पांडे, सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 2

माननीय प्रकाश पाडिया, न्यायमूर्ति

1. याचिकाकर्ता ने वर्तमान रिट याचिका अन्य बातों के साथ-साथ प्रतिवादी संख्या 3- अपर जिला मजिस्ट्रेट, न्यायिक, अमरोहा द्वारा वाद संख्या 859/2025 में पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 23.08.2025 के साथ-साथ प्रतिवादी संख्या 4- तहसीलदार, धनौरा, जिला अमरोहा द्वारा वाद संख्या आरएसटी/5088/2021 में पारित आदेश दिनांक 26.05.2025 को रद्द करने की प्रार्थना के साथ दायर की है।
2. विभिन्न अन्य तर्कों के अलावा याचिकाकर्ता के अधिवक्ता द्वारा एक तर्क यह भी उठाया गया है कि उपरोक्त आदेश ऋषिपाल सिंह और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य [2023 (1) एडीजे 154] के मामले में पारित पैरा-74 में निर्धारित प्रक्रिया के पूर्ण उल्लंघन में पारित किए गए थे, इसलिए वे रद्द किए जाने योग्य हैं।
3. इस तथ्य को प्रतिवादियों के अधिवक्ता ने भी स्वीकार किया है।
4. इसे देखते हुए, चूंकि प्रतिवादी संख्या 3- अपर जिला मजिस्ट्रेट, न्यायिक, अमरोहा द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 23.08.2025 के साथ-साथ प्रतिवादी संख्या 4- तहसीलदार, धनौरा, जिला अमरोहा द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.05.2025 उपर्युक्त ऋषिपाल के मामले में निर्धारित प्रक्रिया के पूर्ण उल्लंघन में पारित किए गए थे, इसलिए वे रद्द किए जाने योग्य हैं और एतद्वारा रद्द किए जाते हैं।
5. उपरोक्त टिप्पणियों के साथ, रिट याचिका स्वीकार की जाती है। लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं।
6. प्रतिवादी संख्या 4 को कानून के अनुसार शीघ्रता से नया आदेश पारित करने का निर्देश दिया जाता है।

(प्रकाश पाडिया, न्यायमूर्ति)

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



21 जनवरी, 2026

प्रमोद त्रिपाठी

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"